POLITICAL SCIENCE Dept.
B.A-III (Hons), Paper V

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

प्रत्यायोजन के सिद्धांत (Principles of Delegation)

प्रत्यायोजन के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं —

(1) कार्यात्मक स्पष्टता —

प्रत्येक पद के उद्देश्य एवं कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न पदों के अन्तर-सम्बंधों का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजित कार्यों की स्पष्टता उनके अनुपात में सत्ता के हस्तांतरण को सम्भव बनाती है।

(2) दायित्व और सत्ता में सन्तुलन —

अधीनस्थों को सौंपे गए दायित्वों एवं कार्यों के अनुपात में सत्ता सौंपना प्रत्यायोजन को कार्यकारी बनाने के लिए आवश्यक है। बिना दायित्वों के सत्ता का परिणाम शक्ति का दुरुपयोग होता है।

(3) दायित्व की निरपेक्षता —

अधीनस्थों को प्रत्यायोजित किए गए कार्यों के लिए अंतिम उत्तरदायित्व उच्चाधिकारी का ही रहता है। प्रत्यायोजित कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रबन्धक का बना रहता है।

(4) आदेश की एकता —

प्रत्यायोजन के लिए यह जरूरी है

कि एक अधिकारी अपने से उच्च एक उच्चाधिकारी के प्रति जवाबदेह रहे। एक साथ दो उच्चाधिकारी के अधीन रहने से आदेश के टकराव की संभावना रहती है।

⑤ प्रत्यायोजन पदसोपानीय सिद्धांत के अनुरूप हो —

प्रत्यायोजन में सत्ता अपने निकटतम अधीनस्थ को ही सौंपी जानी चाहिए। ऐसा न करने पर संगठन में असहयोगी वातावरण उत्पन्न होता है।

⑥ पद के लिए प्रत्यायोजन —

प्रत्यायोजन को संगठन के सामान्य नियम के रूप में अपनाया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सत्ता पद के लिए ही प्रत्यायोजित की जानी चाहिए।

⑦ सामर्थ्य के अनुरूप प्रत्यायोजन —

सत्ता की केवल उतनी ही मात्रा निम्नाधिकारी को सौंपनी चाहिए जिसे वह सम्पन्न करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य रखता हो।

⑧ अपेक्षित परिणामोन्मुखी प्रत्यायोजन का सिद्धांत -

इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यायोजन करते समय उच्चाधिकारी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह निम्नाधिकारी से क्या काम कितने समय में सम्पन्न करने की अपेक्षा करता है।